



!! सम्पदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक 11

दिनांक 1/5/2012

विषय:-मण्डल द्वारा आबंटित भवन/भू-खण्ड के हस्तांतरित होने पर हस्तांतरित शुल्क भारित करने के संबंध में ।

मण्डल द्वारा वर्तमान में आवासीय भवन/भू-खण्ड के हस्तांतरण होने पर परिपत्र क्र०-4 दिनांक 28.08.2009 के अनुसार हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क लिया जा रहा है। उक्त परिपत्र में आबंटित आवासीय सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त कर विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरांत सम्पत्ति का हस्तांतरण के समय जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित गाईड लाईन में उल्लेखित मूल्य के 1% (एक प्रतिशत) की दर से हस्तांतरण शुल्क हस्तांतरण के समय लिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 19 पर पारित संकल्प क्रमांक 973-19/35/04/2012 में लिया गये निर्णय के परिपालन में हस्तांतरण शुल्क जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित गाईड लाईन में उल्लेखित मूल्य के 2% (दो प्रतिशत) की दर से भारित किया जाए, शेष शर्तें परिपत्र क्रमांक 04 दिनांक 28.08.2009 में उल्लेखित अनुसार यथावत रहेगा।

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 1/5/2012

पृ. क्रमांक/276 /आ.आ./सं.शा./12

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
5. उपायुक्त-I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि.संभाग
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
रायपुर